न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला–सीकर

बइजलास गाविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:– 23 / 2019 / आवेदन अं0 धारा 111 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

शंकर लाल पुत्र मांगूराम जाति खटीक निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

1. शिशपाल पुत्र नेमाराम
2. गणेश राम पुत्र रूधाराम
3. गीता पुत्री भोलाराम
4. संतोष पुत्री सीताराम नेहरा
5. भींवाराम पुत्र नोपाराम जाट (मृत)
   समस्त जाति जाट निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. गोरधन पुत्र स्व. भींवाराम जाति जाट निवासी पचार तह0 दांतारामगढ़ सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 (पत्थरगढ़ी)

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।
3. अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत हाजिर आये।

नि र्ण य **दिनांक– 02.09.2024**

1. आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पचार गिरदावर हल्का खाटुश्यामजी जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1589 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 हैक्टर अवस्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार है। अप्रार्थीगण आवेदक के पड़ोसी काश्तकार है तथा आवेदक की नींव सींव तोड़ कर सीमा दबा कर लेते है तथा आवेदक से आये दिन झगडा फसाद करता रहता है,

एवं आवेदक द्वारा समझाने पर भी नहीं मानते हैं, इसलिए आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 24.05.2016 को तहसीलदार दांतारामगढ के हल्का पटवारी ने मेरे पर सीमाज्ञान करवाया है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है, पडौसी काश्तकारों द्वारा नींव सींव तोड़ने से परेशान होकर प्रार्थी अपने खेत भी सीमाओं की पत्थरगढ़ी/पुख्ता सीमा चिन्ह तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा करवाने का अधिकारी है, जिसके भविष्य में सीमा सम्बन्धी झगड़ा आवेदक अनावेदक के बीच न हो। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1589, 1593 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश किया जाना आवश्यक है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से वकील राजेन्द्र सिंह शेखावत हाजिर आये। बार–बार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब पेश नहीं। अतः अप्रार्थी संख्या 7 का जवाब बन्द किया गया।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों तथा सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1589, 1593 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का दांता द्वारा दिनांक 24.05. 2016 को करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन

बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2016 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। उक्त पत्थरगढ़ी के आदेश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कब्जे से बलात् व बेदखल न करे।

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़